रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225063
CG-DL-E-10022021-225063

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

India Code

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 109(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सर्तकता आयोग में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सर्तकता आयोग (निदेशक पद) भर्ती, नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों फर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय फर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	2* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	लागू नहीं होता	स्तर 13 (118500-214100/-) रुपये	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता *	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति स्तर 12 (78,800-209200/ रुपये -) में पांच वर्ष नियमित सेवा करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग में विशेष डयूटी पर ऐसे अधिकारी परंतु यह कि उन्होंने केंद्रीय सर्तकता आयोग का प्रचलित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो अथवा सचिवालीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से केंद्रीय सचिवालय सेवा में समतुल्य स्तर के ऐसे अधिकारियों के लिए अभिहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण किया हो। **टिप्पण** - : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर, 12 (78,800-209200/ रुपये -) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है ; या (ख) जो सतर्कता प्रशासन मामले में 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	**विभागीय प्रोन्नत समिति पुष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी** (i) सचिव, केंद्रीय सर्तकता आयोग -अध्यक्ष; (ii) अपर सचिव केंद्रीय सर्तकता आयोग -सदस्य; (iii) अपर सचिव/संयुक्त सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य;	लागू नहीं होता

IndiaCode

है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. 399/18/2017-ए.वी.डी.-III]

मनमीत कौर, उप सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Central Vigilance Commission, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Director Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the pay matrix**.– The number of posts, classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc**,.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**.– No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.– Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or non-Selection**	**Age-limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	2* (2021) * Subject to variation depending on workload.	Not applicable.	Level 13 (₹ 1,18,500-2,14,100/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a departmental promotion committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officer on Special Duty in the Central Vigilance Commission with five years' regular service in level 12 (₹ 78,800-2,09,200/-), provided that he has successfully completed the customised training of Central Vigilance Commission or two to four weeks training designed for the officers of equivalent level in the Central Secretariat Service at Institute of Secretariat Training and Management. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the	**Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:-** i) Secretary, Central Vigilance Commission – Chairman; ii) Additional Secretary, Central Vigilance Commission – Member; iii) Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Personnel & Training - Member.	Not applicable.

IndiaCode

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (₹ 78,800-2,09,200/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing five years experience in vigilance administration matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 399/18/2017-AVD-III]

MANMEET KAUR, Dy. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.10 20:10:06 +05'30'